**रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/का.व प्रशा./भर्ती/ सीएएनएसआरयू स्थायी /पर्य./ मा.सं./ 03/2023/2**

**दिनांक 24 अक्तूबर 2023**

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरत्न कंपनी, **सीएसएल अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू), पोर्ट ब्लेयर,** में निम्नलिखित **पर्यवेक्षक पद** को भरने हेतु योग्यता अपेक्षाओं को पूरा करने वाले भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है:-

**क. पद का नाम, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और कार्य अपेक्षाएं:**

**तालिका 1**

| पद का नाम | शैक्षिक योग्यता | अनुभव व कार्य अपेक्षाएं |
|---|---|---|
| लेखाकार | क) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि।<br><br>**या**<br>ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान/ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की मध्यवर्ती परीक्षा में उत्तीर्णता के साथ स्नातक। | **अनिवार्य:**<br>**I. क्र.सं. क) में शैक्षिक योग्यता केलिए**<br><br>सरकारी या अर्ध सरकारी स्थापना/ सार्वजनिक या निजी क्षेत्र उपक्रम में वित्त/ लेखाकरण में सात सालों का अनुभव।<br><br>**II. क्र.सं. ख) में शैक्षिक योग्यता केलिए**<br><br>सरकारी या अर्ध सरकारी स्थापना/ सार्वजनिक या निजी क्षेत्र उपक्रम में वित्त/ लेखाकरण में पाँच सालों का अनुभव।<br>III. उपर्युक्त अनुभव में से दो वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षी ग्रेड में होना चाहिए।<br><br>**वांछनीय:**<br>क) कंप्यूटरीकृत वातावरण में काम करने का अनुभव।<br>ख) हिंदी में अच्छा संपर्क कौशल और कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।<br><br>**कार्य अपेक्षाएं:** |

| | | |
|---|---|---|
| | | कार्यों के उप ठेका, सामग्रियों के प्रापण आदि से संबंधित अनुमानों का सत्यापन, निविदाओं से संबंधित विभिन्न मूल्य तुलना बयानों का सत्यापन और ईएमडी का लेखा जोखा और उसी का जारी करना , बिलों को पारित तकने और उनके प्रसंस्करण के संबंध में चालान का सत्यापन, वैधानिक रिटर्न जैसे आईटी रिटर्न, जीएसटीआर आदि के समय पर प्रेषण केलिए विभिन्न रिपोर्टों का सृजन, लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों को संभालना, लेखों के तिमाही और वार्षिक समापन के संबंध में सुलह बयान की तैयारी, ईआरपी सिस्टम में अद्यतनीकरण, रिकॉर्ड और रिपोर्ट की तैयारी, विश्लेषण उद्देश्यों केलिए विभिन्न एमआईएस की तैयारी और प्रबंधन को प्रस्तुत करना। |

* **सरकारी/ अर्ध सरकारी संस्थापनों के मामले में, अन्यथा, अनुभव, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनियों या समस्थिति की विदेशी कंपनियों से होना चाहिए।**

**ख. <u>महत्वपूर्ण तिथियां:</u>**

| | | |
|---|---|---|
| **ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत** | : | **25 अक्तूबर 2023** |
| **ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि** | : | **15 नवंबर 2023** |

**ग. <u>रिक्तियों की संख्या और आरक्षण:</u>**

**तालिका 2**

| क्र.सं. | पद का नाम | अनारक्षित |
|---|---|---|
| 1 | लेखाकार | 1 |
| **कुल** | | **1** |

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) आवेदकों के लिए पद पहचाना गया है जिसमें बैंचमार्क दिव्यांग निम्नानुसार हैं:

**तालिका 3**

| पदों का नाम | वर्ग | बैंचमार्क दिव्यांगजता |
|---|---|---|
| लेखाकार | वर्ग (ख) | बहरा और सुनने में मुश्किल |
| | वर्ग (ग) | एक हाथ, एक पैर, दोनो पैर, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडित |
| | वर्ग (घ) | ऑटिस्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (मृदु) |
| | वर्ग (ङ) | उपरोक्त सभी को शामिल करते हुए एकाधिक अक्षमता |

घ.

**<u>वेतनमान, लाभ व तैनाती स्थान:</u>**

क) ग्रेड व वेतनमान:

**तालिका 4**

| ग्रेड | वेतनमान |
|---|---|
| पीएस-I | ₹ 28000-3%-110000 |

ख) तिथि के अनुसार मासिक परिलब्धियां: - -

**तालिका 5**

| क्र.सं. | वेतन प्रकार | राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | मूल वेतन | ₹ 28,000 |
| 2 | महंगाई भत्ता (वर्तमान में 43.8%) | ₹ 12,264 |
| 3 | पोर्टब्लेयर में मकान किराया भत्ता (वर्तमान में 18%) | ₹ 5,040 |
| 4 | स्थान आधारित भत्ता (10%) | ₹ 2,800 |
| 5 | अनुलब्धियां और भत्ता (35%) | ₹9,800 |
| | **कुल** | **₹ 57,904** |

ग) पद केलिए नई पेंशन योजना के तहत अन्य लाभ, अंशदायी भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा कवरेज, अंशदायी चिकित्या बीमा पॉलिसी के तहत चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, छुट्टी नकदीकरण, कार्य-निष्पादन संबंधी भुगतान आदि जैसा स्वीकार्य हो, लागू होगा।

घ) **<u>तैनाती सीएसएल अंडमान निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू)/ अन्य सीएसएल इकाइयों/ परियोजना स्थलों पर होगी</u>** । हालांकि, परियोजना की आवश्यकताओं के

आधार पर, उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है । पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

ङ) चयनित उम्मीदवार को न्यूनतम वेतनमान में रखा जाएगा और वेतन सुरक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।

**घ. आयु:**

**क) निर्धारित उच्चतम आयु सीमा दिनांक 15 नवंबर 2023 को 45 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवदेकों का जन्म दिनांक 14 नवंबर 1978 को या उसके बाद होना चाहिए ।**

ख) भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, बैंचमार्क दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों केलिए आयु सीमा में छूट होगी। फिर भी, किसी भी मामले में, आयु में सभी छूट लागू लगाने के बाद आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक न हो।

**च. चयन की रीति:**

क) चयन की रीति में निम्नलिखित शामिल होगा : -

**(i) चरण I – लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा- 40 अंक व विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा- 40 अंक)**

**(ii) चरण II – कार्य अनुभव पर पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण (20 अंक)**

ख) ऑनलाइन आवेदन की संख्या के आधार पर, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा सीएसएल द्वारा तय किए अनुसार अंडमान, पोर्ट ब्लेयर के किसी स्थान में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का आबंटन सीएसएल के विवेकाधिकार से होगा।

ग) **चरण I – वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 45 मिनट की अवधि की होगी और** इसके दो भाग है- **सामान्य (भाग क) और शाखा से संबधित (भाग ख)।** भाग क में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेज़ी, तर्क और मात्रात्मक योग्यता शामिल है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के प्रश्न पत्र, प्रश्नों की संख्या और अंको का आबंटन नीचे दिया जाता है:

**तालिका 6**

| प्रत्येक भागों में प्रश्नों की संख्या / प्रति भाग अंक * | | | | | वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा केलिए कुल प्रश्न/ अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य ज्ञान | सामान्य अंग्रेज़ी | तर्क | मात्रात्मक योग्यता | शाखा संबंधित | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 |

* हर एक प्रश्न केलिए एक अंक होगा। नेगटीव अंक नहीं होगा।

घ) विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा 40 अंकों की होगी और 90 मिनट की अवधि में विषय आधारित प्रश्न होंगे।

ङ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा संबंधी विस्तृत पाठ्यक्रम **अनुबंध I** में दिया गया है। कृपया नोट करें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है और संपूर्ण नहीं है।

च) चरण I – वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आदार पर अंक सूची तैयार की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक प्राप्त करते हैं और जो अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

छ) वस्तुनिष्ठ व विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं :-

अनारक्षित पदों केलिए - प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50 %
पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों केलिए- प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40 %

ज) न्यूनतम उत्तीर्ण अंक और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन केलिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सीएसएल प्रमाणपत्रों के सत्यापन केलिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को बुलाएगा ताकि योग्यता के क्रम में पद के सामने न्यूनतम 6 उम्मीदवारों के अनुपात में उम्मीदवार मिल सकें। केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, उन्हें चरण II में भाग सेने केलिए लघुसूचीगत किया जाएगा।

झ) चरण II (पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण) में, सीएसएल – अंडमान पोत मरम्मत यूनिट, या सीएसएल द्वारा तय किए गए किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा। पावर पॉइन्ट प्रस्तुतीकरण उम्मीदवारों के कार्य अनुभव पर प्रकाश डालते हुए दस मिनट से अधिक की अवधि का नहीं होगा।

ञ) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल के पास आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइनआवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा जमा किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों को लघुसूची तैयार करने का अधिकार है, केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

ट) प्रमाणपत्र सत्यापन के अलावा, चयन प्रक्रिया लघुसूची किए गए उम्मीदवारों के साथ आयोजित की जाएगी, भले ही यह सीएसएल द्वारा तय किए गए अनुपात 1:6 से कम हो।

ठ) सभी चरणों में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की रैंक सूची चरण I और चरण II में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर एक से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होता है तो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंक सूची के क्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद टाई के मामले में ,उम्र की वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

## छ. शर्तें:

### क. आरक्षण:

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।

(ii) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में एक *वैध दिव्यांगजता प्रमाणपत्र* प्रस्तुत करना चाहिए।

### ख) योग्यता:

(i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीआई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) आवेदकों को पदों के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय /संस्थान /परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और समग्र ग्रेड अंक आबंटित करते है (जैसे, सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि) । यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड अंक को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड निर्धारित करते है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, जहां विश्वविद्यालय /संस्थान/परीक्षा कुल ग्रेड अंक को श्रेणी

और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड को निर्धारित नहीं करता है, वहां अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंकों को 10 से गुणा किया जा सकता है।

ग) **अनुभव:**

(i) **उपरोक्त मद क के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 15 नवंबर 2023 से की जाएगी ।**

(ii) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत संबंधित शाखा/ ट्रेड में पूर्ण प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव के रूप में माना जाएगा। पारिश्रमिक के साथ किसी भी प्रशिक्षण को भी अनुभव के रूप में माना जाएगा। हालांकि, दो साल के पर्यवेक्षी अनुभव की गणना केलिए प्रशिक्षण की अवधि को नहीं गिना जाएगा।

(iii) कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनियों या सरकारी/ अर्ध सरकारी स्संथापनाओं के अलावा समकक्ष स्तर की विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्र ही केवल लघुसूचीयन और चयन केलिए विचार किया जाएगा।

(iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी **नियुक्ति/प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची/आखिरी वेतन की प्रति और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सीटीसी प्रमाणपत्र / पिछले वित्तीय वर्ष के आईटी प्रपत्र – 16 आदि** अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। **पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उन्हें आगे के चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(v) **पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्ववाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है । ऐसे आवेदकों को ईएसआई/इपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।**

(vi) नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों के उम्मीदवारों को आवेदन सीधे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र **(अनुलग्नक- II के अनुसार)** प्रस्तुत करना है कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप में सूचित किया है कि वे सीएसएल द्वारा अधिसूचित पदों केलिए आवेदन कर रहे है। यदि नियोक्ता से कोई भी आपत्ति प्राप्त होती है तो, ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना होगा। जिन भूतपूर्व सैनिकों की योग्यता उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक में पृष्ठांकित है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। योग्यता की समतुल्यता का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को प्रमाणपत्र सत्यापन के दौरान अनुभव के प्रमाण के रूप में प्राधिकारियों से (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश देखें) सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में समतुल्यता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, सशस्त्र बलों में उचित शाखा में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित प्राधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(viii) उन भूतपूर्व सैनिकों को, भूपूर्व सैनिक के रूप में उन्हें दिए गए लाभ उठाने के बाद गैर सैनिक पक्ष पर किसी भी सरकारी नौकरी में पुन: रोज़गार के उद्देश्य केलिए उनकी भूतपूर्व सैनिक स्थिति को डीओपीटी का.ज्ञा.सं. 36034/27/84-स्था (एससीटी) दिनांक 02.05.1985, 36034/6/90-स्था. (एससीटी) दिनांक 10.10.1994 और 36034/1/2014-स्था (एससीटी) दिनांक 14.08.2014 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। **सभी भूतपूर्व सैनिक इस बात केलिए ऑनलाइन आवेदन के साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे, कि वे पूर्व सैनिकों केलिए लाभ उठाने के बाद सरकार में फिर से नियोजित नहीं किए गए हैं।(अनुलग्नक- III के अनुसार)**

(ix) आवेदकों को किए कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति, संबंधित कार्यों में संभाले गए दायित्वों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही अधिसूचित पद केलिए उनके आवेदन प्रस्तुत करते समय इसके प्रमाण में अनुभव प्रमाणपत्र को प्रस्तुति के समय संलग्न करना चाहिए।

(x) **<u>कर्मचारी जो वर्तमान में सीएसएल/ सीएसएल की किसी भी अन्य इकाइयों में नियमित रोल पर काम कर रहे हैं, वे सीएसएल द्वारा अधिसूचित समान वेतनमान पर समान पदों केलिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।</u>**

घ) **<u>आवेदन शुल्क:</u>**

(i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 25 अक्तूबर 2023 से 15 नवंबर 2023** तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । <u>भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा ।</u>

(ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है ।** उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

(iii) सभी आवेदक जिनके लिए शुल्क लागू है, अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूबीडी से संबंधित लोगों को छोडकर, उपरोक्त खंड में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए । **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर केवल आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**

ङ) **<u>आवेदन कैसे करें</u>**:

(i) **आवेदकों को वेबसाइट** www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ→ सीएएनएसआरयू, अंडमान) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन केलिए लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढना चाहिए।** <u>आवेदन दो चरण होते हैं</u> – **एक बार पंजीकरण और लागू पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।

(ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण पूरा कर सकते हैं और अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। दिनांक 25 अक्तूबर 2023 से दिनांक 15 नवंबर 2023 तक यह सुविधा हमारी वेबसाइट <u>www.cochinshipyard.in</u> (कैरियर पृष्ठ → सीएएनएसआरयू, अंडमान) के**

**माध्यम से प्राप्त की जा सकती है । सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**

(iii) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के सभी प्रमाणपत्र और हाल ही में एक पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में अपलॉड किया गया है , ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकार किया जाएगा।

(iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है । ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से जमा करने के बाद आवेदन में प्रदान किए गए डेटा में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। **किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।**

(v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **"प्रगति में "** के रूप में (इन प्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार "माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में "** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी ।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्‍धृत की जानी चाहिए।

(vii) ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड / सीएएनएसआरयू को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।***

(viii) वेबसाइट **दिनांक 25 अक्तूबर 2023** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 15 नवंबर 2023** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें । ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

**च) सामान्य:**

(i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

(ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा - भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है

(क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर योद्धा के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और

(i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या

(ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

(iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है।

(ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटी कुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या

(ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित; या

(घ) कार्मिक, जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्त पर थे ; या

(ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

(च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व भर्ती और जिन्हें चिकित्सा-विकलांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो,

(iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के समर्थन में किसी अतिरिक्त दस्तावेज़ी विवरण मांगने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल **career.cansru@cochinshipyard.in** के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल या सीएएनएसआरयू, निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/गैर-प्राप्ति केलिए उत्तरदायी नहीं होगा । निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस सिलसिले में कोई पत्राचार प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

(iv) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(v) लिखित परीक्षा केलिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों केलिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा । फिर भी, चरण II केलिए उपस्थित होने वाले अ.जा./अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सीएएनएसआरयू/ चरण II चयन प्रक्रिया के स्थान में प्रस्तुत प्रमाण में उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित डाक पते से कंपनी के नियमों के अनुसार पदों केलिए स्वीकार्य एकल आगे-पीछे के तीसरे एसी रेल किराए की पूतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा पूतिपूर्ति का दावा करनेवाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ प्रति जमा करनी होगी और पूतिपूर्ति की पत्र राशि एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी । यात्रा किराए की पूतिपूर्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों को की जाएगी जो उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करेंगे । हालांकि, प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी अधिसूचित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे न तो चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और न ही किसी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

(vi) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट **www.cochinshipyard.in** के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएएनएसआरयू , आंडमान) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (**कैरियर पृष्ठ→ सीएएनएसआरयू , आंडमान**) को बार- बार देखें।

(viii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएएनएसआरयू , आंडमान) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट (**कैरियर पृष्ठ→ सीएएनएसआरयू , आंडमान**) को बार- बार देखें।

(ix) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने और चयन प्रक्रिया हेतु बुलावा पत्र जारी करने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

(x) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन के अधीन होगी।

(xi) नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।

(xii) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

(xiii) सभी पदों के लिए रैंक सूची का रखरखाव किया जाएगा और केवल रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान कोई रिक्ति होने की स्थिति में संचालित किया जाएगा। रैंक सूची की वैधता अवधि परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने की सलाह देने वाले उम्मीदवारों की सूची से अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी, जब तक कि उसी पद के लिए एक नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

(xiv) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।

(xv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

(xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

(xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया career.cansru@cochinshipyard.in ईमेल से संपर्क करें।

**"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"**

**"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"**

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व प्रशिक्षण)